

विज्ञप्ति संख्या :— 03 / 2015
जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, सिमडेगा
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति की सूचना

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1530 दिनांक 03.07.2015 के निदेश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, सिमडेगा के विज्ञप्ति संख्या 02 / 2015 को निरस्त करते हुए नए से निम्नांकित रूप में विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही हैः—

1. झारखण्ड अधिविद् परिषद् द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों से राजकीयकृत प्रारंभिक / मध्य विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, विज्ञान, कला एवं भाषा शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में दिनांक 05 अगस्त 2015 तक स्पीड-पोस्ट / निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन-पत्र निम्नांकित पते पर आमंत्रित किया जाता है। दिनांक 05 / 08 / 2015 पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

पता— **जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा।**
समाहरणालय भवन, सी०-ब्लॉक
ग्राउण्ड फ्लोर,
खूंटीटोली,
जिला:- सिमडेगा।
झारखण्ड।
पिन कोड— 835223

2. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन-पत्र की सभी प्रविष्टियों को भर कर, उचित स्थान पर पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ चिपकायेंगे एवं आवेदन-पत्र के उचित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। आवेदन-पत्र के साथ वांछित अभिलेख की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं दो अतिरिक्त फोटोग्राफ संलग्न कर एक लिफाफा में भेजेंगे। लिफाफा के उपर में बड़े अक्षरों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, विज्ञान / कला / भाषा शिक्षक (जो लागू हो) पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे तथा लिफाफे पर अपना नाम, पूरा पता एवं दूरभाष / मोबाइल संख्या अंकित करेंगे।
3. नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अहर्ता निम्नवत् हैः—

- भारत का नागरिक हो।
- प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 4(ख)(ii) में वर्णित निम्नलिखित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान / प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त किया हो एवं उत्तीर्ण हो।

(अ) स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०), जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड।)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं चार वर्षीय बी०ए० / बी०एस०सी०ए०ड० या बी०ए०ए०ड० / बी०ए०स०सी०ए०ड०।

५

